भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2872
उत्तर देने की तारीख 07.08.2023

संस्कृति को बढ़ावा देने के सेमिनार/कार्यशालाओं को वित्तपोषित करने संबंधी योजनाएं

2872. श्री विजय कुमार दुबे :
श्री राजेन्द्र धेड्या गावित :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की विभिन्न मंचों पर संस्कृति को बढ़ावा देने वाले सेमिनार/कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश के सांस्कृतिक पर्यटन पर इसके प्रभावों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): जी, हां। संस्कृति मंत्रालय, सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान स्कीम (सीएफपीजीएस) नामक स्कीम का संचालन करता है, जिसके तहत संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, सम्मेलन, अनुसंधान, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां आयोजित करने, नृत्य निर्माण, नाटय-रंगमंच, संगीत निर्माण आदि के लिए और भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर लघु अनुसंधान परियोजना के लिए गैर-लाभ-अर्जक संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, सोसायटियों, न्यासों और विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान स्कीम (सीएफपीजीएस) के तहत वित्तीय सहायता की राशि प्रति परियोजना अधिकतम 5.00 लाख रुपये के अध्यधीन, व्यय के 75

प्रतिशत तक सीमित है। तथापि, मंत्रालय विशेष परिस्थितियों में, किसी उत्कृष्ट योग्यता और संगत परियोजना के लिए मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वित्तीय सहायता को 20.00 लाख रुपये तक बढ़ा सकता है। यह अनुदान 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत की दो किस्तों में जारी किया जाता है। यह स्कीम वर्ष भर खुली रहती है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): देश के सांस्कृतिक पर्यटन पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई औपचारिक अध्ययन शुरू नहीं किया गया है।

*****